राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक– प-8(100)शिक्षा-2/2024-24724 जयपुर,दिनांक:– [illegible]

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– 30 जून को मृत राज्य कार्मिकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांकः शिविरा–माध्य/ पेंशन–अ/ विविध / 2024 दिनांक 04.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त टिप्पणी (ID-1924400623) के अनुसार लेख है कि प्रस्तावित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृति से गत एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के लिए अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि सेवानिवृति के अन्तिम दिन स्वीकृत किये जाने के संबंध में पारित निर्णय में निर्धारित तर्क के दृष्टिगत ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा मृत्यु से पूर्व एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा की गई है उन्हें भी आगामी 1 जुलाई को देय होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 30 जून को काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया जाना युक्ति संगत होगा।

अतः वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2024 के प्रावधान के अनुसार जून तक एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके मृतक कर्मचारियों को भी वार्षिक वृद्धि का काल्पनिक लाभ देय होगा।

भवदीय

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Maneesh Goyal
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.03.05 18:37:34 IST
Reason: Approved